शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट – सराहनीय कार्य, दिनांक- 04.04.2024,

अपनी ही पुत्री की हत्या के अपराध में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहुँपर के निर्देशन में श्री मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय व श्री पंकज पंत क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी व रोकथाम मादक पदार्थ तस्करी एवं चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम/गश्त के दौरान आज दिनाँक 04.04.2024 को थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

थाना बण्डा पर **दिनांक 04.04.2024 को वादी श्री शिवम कुमार पुत्र बलवीर निवासी ग्राम उल्लिया थाना सिंघौली जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0-243/24 धारा 302 भादवि बनाम** राजबेटी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी सिंघापुर पनई थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा सम्पादित की जा रही है। प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारीगण द्वारा दिये गये निर्देशन के क्रम में नामजद/वांछित अभियुक्ता उपरोक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया। जिसका टीम प्रभारी, मैं प्रभारी निरीक्षक बण्डा स्वंय था। मुखबिर की सूचना/निशादेही पर अभियुक्ता राजबेटी उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर ग्राम सिंघापुर पनई में अभियुक्ता के घर से आज दिनांक 04.04.24 को हिरासत पुलिस मे समय करीब 14.30 बजे लिया गया। चूंकि इसके विरुद्ध वर्णित **धारा 302 भादवि** का अपराध जघन्य अपराध है और अभियुक्ता के द्वारा विवेचना में सहयोग न करने तथा मुकदमा वादी पर अनुचित दबाव बनाने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है, इस लिए अभियुक्ता की गिरफ्तारी नितान्त आवश्यक है। अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

थाना बण्डा पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए मात्र 02 घन्टे के अन्दर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। जिसकी आम जनता द्वारा बण्डा पुलिस की भूरि-भूरि प्रसंशा की गयी।

➢ गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1. राजबेटी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद नि 0ग्रा 0सिंघापुर पनई थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

➢ पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0-243/2024 धारा 302 भादवि बनाम राजबेटी उपरोक्त,

➢ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1-श्री राकेश कुमार मौर्य प्रभारी निरीक्षक बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
2-रि0म0उ0नि0 पूजा तोमर, थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
3-का0 1737 नरेन्द्र कुमार, थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
4-का0 2055 दीपक कुमार, थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
5- म0का0 66 निशा मिश्रा, थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्ता सम्बन्धित मु0अ0सं0-243/2024 धारा 302 भादवि ....से सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि मेरी शादी करीब 02 वर्ष पूर्व शिवम कुमार पुत्र बलवीर निवासी ग्राम उल्लिया थाना सिंघौली जनपद शाहजहाँपुर के साथ हुई थी। हम दोनो के मध्य आपस में वैचारिक मतभेद चल रहा था जिसके कारण मेरे ससुर दिनांक 20.03.2024 को होली के पहले मेरे मायके छोड गये थे। होली के बाद जब मैंने अपने पति से ससुराल ले जाने के लिये कहा तो मेरे पति ने मेरे मायके आने से मना कर दिया और कहा कि तुम वहीं रहो यहाँ रहती हो तो मुझसे झगडा करती हो। इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी पुत्री निहारिका उम्र करीब 06 माह की गले में पहने माला को खींच दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। मुझे उक्त घटना का बहुत अफसोस है। मुझसे गलती हो गयी। आप मुझे माफ करें। जो सही बात है वह मैंने आपको बता दी है।